

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0028/अ-20(3)/2021-22

आदेश

(दिनांक 21/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद , जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात -शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 20 कुल रकबा 228.81.34 में से 62.86 है. भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच उपखण्ड अधिकारी सुसनेर-नलखेडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई । तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2021 में उल्लेख किया कि मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर भूमि पडती व अतिक्रमण मुक्त पाई गई व ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1049.46 हेक्टेयर है जिसके दो प्रतिशत रकबा निस्तार गोचर भूमि आरक्षण हेतु रकबा 20.98 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है तथा वर्तमान में चरनोई गोचर भूमि का रकबा 353.25 हेक्टेयर अभिलेख में अंकित है इसलिए यदि उक्त भूमि आवंटित की जाती है तो चरनोई का दो प्रतिशत रकबा प्रभावित नहीं होगा। पंचो व ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भूमि आवंटित करने में मौखिक असहमती भी जताई है तथा उक्त भूमि आवंटन नहीं करने हेतु आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर गैर वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्वे नम्बर	रकबा हे.	आवंटित रकबा भूमि (हे.)	भूमि नोईयत
1	8	10.11	10.11	चरनोई
2	11	10.500	10.500	चरनोई
3	193	20.400	20.00	गैरमुमकिन
4	106	14.40	10.00	चरनोई
5	188	0.200	0.200	नाला
6	189	2.700	2.700	चरनोई
7	100	0.240	0.240	नाला
8	191	2.550	2.550	चरनोई
9	192	0.160	0.160	नाला
10	195	9.000	6.000	चरनोई
11	194	0.600	0.400	नाला
	कुल किता 11	कुल रकबा 70.860	62.860	



- 3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर गैर वन भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।
- 4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1653/नग्रानि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर में स्थित सर्वे क्रमांक 08, 11, 193, 196, 188, 189, 190, 191, 192, 194 एवं 195 कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मोरंड गंजाल संयुक्त सिचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गैर वन भूमि आवंटन किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
- 5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला आगर मालवा ने पत्र क्रमांक /डूडा/2021/916 आगर मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 193 रकबा 20.4 में से 20.00, सर्वे क्रमांक 196 रकबा 14.40 में से 10.00 हे. सर्वे क्रमांक 8 रकबा 10.11 हे. सर्वे क्रमांक 11 रकबा 10.5, सर्वे क्रमांक 188 रकबा 0.20, सर्वे क्रमांक 189 रकबा 2.70, सर्वे क्रमांक 190 रकबा 0.24, सर्वे क्रमांक 191 रकबा 2.55, सर्वे क्रमांक 192 रकबा 0.16, सर्वे क्रमांक 195 रकबा 9.00 में से 6.00, भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 0.60 में से 0.40, कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है, उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है, भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
- 6/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 17.09.2021 को वर्चुअल गुगल मीट के माध्यम से आनलाईन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 7/ अतः जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 193 रकबा 20.4 में से 20.00, सर्वे क्रमांक 196 रकबा 14.40 में से 10.00 हे. सर्वे क्रमांक 8 रकबा 10.11 हे. सर्वे क्रमांक 11 रकबा 10.5, सर्वे क्रमांक 188 रकबा 0.20, सर्वे क्रमांक 189 रकबा 2.70, सर्वे क्रमांक 190 रकबा 0.24, सर्वे क्रमांक 191 रकबा 2.55, सर्वे क्रमांक 192 रकबा 0.16, सर्वे क्रमांक 195 रकबा 9.00 में से 6.00, भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 0.60 में से 0.40, कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86

हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत् शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा ।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत् हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

(अवधेश शर्मा)

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/ 359

आगर मालवा, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सुसनेर - नलखेडा ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा ।
5. तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

कलेक्टर

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0029/अ-20(3)/2021-22



(दिनांक 21/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद , जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात -शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 148.34 में से 93.38 है. भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच उपखण्ड अधिकारी सुसनेर-नलखेडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई । तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2021 में उल्लेख किया कि मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जांच मौजा पटवारी द्वारा करवाई गई। पटवारी ने मौका पंचनामा मे उल्लेख किया कि मौका देखा गया आवेदित सभी भूमि सर्वे नम्बर की भूमि मौके पर पडती एवं खुली हुई पायी गयी साथ ही सर्वे नं. 292/2 रकबा 77.16 है. भूमि पर से पक्की सडक ग्राम गरडा से डोंगरगांव तहसील सुसनेर की ओर बनी है। अभिलेख अनुसार ग्राम का कुल भौगोलिक रकबे का दो प्रतिशत प्रस्तावित आवंटित भूमि उपरांत वर्तमान अभिलेख अनुसार ग्राम का दो प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होता है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 02 में ग्राम पंचायत द्वारा अनापति दर्शाई गई है । ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 93.38 हेक्टेयर वृक्षारोपण गैर वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्वे नम्बर	रकबा हे.	आवंटित रकबा भूमि (हे.)	भूमि नोईयत
1	292/2	77.16	36.00	बडी चरनोई, चारागाह
2	311	8.26	8.26	वन हेतु
3	304/1	18.87	18.87	का.का. ना.मु.
4	304/3	13.88	13.28	चारागाह
5	305	0.18	0.18	नाला
6	308	0.40	0.40	नाला
7	309	0.97	0.97	नाला
8	310	0.42	0.42	नाला
9	219	28.80	15.00	बडी चरनोई, पंचवन
	कुल किता 09	कुल रकबा 148.34	93.38	



3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 93.38 हेक्टेयर भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1652/नगानि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम गरडा तहसील सुसनेर में स्थित सर्वे क्रमांक 292/2, 311, 304/1, 305, 309, 308, 310, 219 एवं 304/3 कुल रकबा में से 93.38 हे. भूमि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मोरंड गंजाल संयुक्त सिचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गैर वन भूमि आवंटन किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला आगर मालवा ने पत्र क्रमांक /डूडा/2021/914 आगर मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 292/2 रकबा 77.16 में से 36.00, सर्वे क्रमांक 304/1 रकबा 18.87, सर्वे क्रमांक 304/3 रकबा 13.88 में से 13.28, सर्वे क्रमांक 305 रकबा 0.18, सर्वे क्रमांक 308 रकबा 0.40, सर्वे क्रमांक 309 रकबा 0.97, सर्वे क्रमांक 310 रकबा 0.42, सर्वे क्रमांक 311 रकबा 8.26, सर्वे क्रमांक 219 रकबा 28.80 में से 15.00 कुल किता 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है, उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है, भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 17.09.2021 को वर्चुअल गुगल मीट के माध्यम से आनलाईन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7/ अतः जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 292/2 रकबा 77.16 में से 36.00, सर्वे क्रमांक 304/1 रकबा 18.87, सर्वे क्रमांक 304/3 रकबा 13.88 में से 13.28, सर्वे क्रमांक 305 रकबा 0.18, सर्वे क्रमांक 308 रकबा 0.40, सर्वे क्रमांक 309 रकबा 0.97, सर्वे क्रमांक 310 रकबा 0.42, सर्वे क्रमांक 311 रकबा 8.26, सर्वे क्रमांक 219 रकबा 28.80 में से 15.00 कुल किता 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान

✓



के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा ।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

(अवधेश शर्मा)

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/ 358

आगर मालवा, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद , जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सुसनेर - नलखेडा ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा ।
5. तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)